

**बिहार में खदान कार्य**

622. श्री कैलाशपति मिश्र : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कौन-कौन सा खनिज खदानों से निकाला जा रहा है; प्रत्येक खनिज के खनन कार्यों में कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है और इन खनन कार्यों में कितने मजदूर और कर्मचारी संलग्न हैं ;

(ख) क्या बिहार क्षेत्र में भारतीय भू-सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय न होने के कारण किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) क्या बिहार में इस प्रकार का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) :

(क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण पटना स्थित अपने पूर्वी क्षेत्र के 2 सर्किल कार्यालयों अर्थात् बिहार (पूर्व) तथा बिहार (पश्चिम) की माफत बिहार में मानचित्रण और खनिज खोज कार्य में लगा है। बिहार सहित देश के पूर्वी क्षेत्र में हवाई खनिज सर्वेक्षण और गवेषण का कार्य भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा रांची स्थित अपने जोनल मुख्यालय की माफत किया जा रहा है। इसके अलावा, वह अपने कोयला विंग की माफत बिहार में कोयले के लिए गवेषण कर रहा है।

**Royalty on Minerals**

623. SHRI SHANKER SINH VAGHELA; SHRI KAILASHPATI MISHRA:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the names of minerals for which royalty is received by the State Government of Bihar and what is the rate of royalty on each of them;

(b) the amount of royalty on each mineral received during the last three years, year-wise;

(c) whether Central Government have received any request from the State Government of Bihar for the revision of royalty rates; and

(d) if so, what action Government have taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY AND STEEL AND MINES (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) The royalty of all minerals produced in a State is payable to the State Section 9 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 lays down the rates of royalty of major minerals whereas rates of royalty on minor minerals are determined by the State Governments under their Minor Minerals Rules. The major minerals produced in the State of Bihar are: coal, manganese ore, iron ore, silver, asbestos, barytes, dolomite, feldspar; fireclay; graphite; kaolin; kyanite, limestone, mica, ochra pyrites; quartzite, silica sand; steatite; sand for stowing; atomic minerals etc. Royalty on all major minerals is payable, at the rates specified in the Second Schedule to the Mines and Minerals (Regulation and development) Act, 1957. These rates are given in the Annexure. [See Appendix CXXX, Annexure No. 11].

(b) The information is being collected and shall be laid on the Table of the House